

सायल तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.-98/2019

दिनांक-14.11.19

सरकार बनाम देबू सिंह

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72 है 0किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.01 है0 पर देबू सिंह पुत्र सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये । इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है । अतः गैरसायल देबू सिंह पुत्र सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617/2.72 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.01 है0 पर जोत लगाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः देबू सिंह पुत्र सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.01 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.30रू का पचास गुणा 15 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

दिनांक 19-11-2019 को रा.स.स. व पुनः महदा 52 पर 15... कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार कोटपूतली